

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2247]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 3, 2014/कार्तिक 12, 1936

No. 2247]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 3, 2014/KARTIKA 12, 1936

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 2014

(आयकर)

का.आ. 2813(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 118 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्वारा सरकारी राजपत्र में प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) की अधिसूचना सं. का.आ. 359, दिनांक 30 मार्च, 1988 में दिनांक 15 नवम्बर, 2014 से निम्नलिखित संशोधन करता है:—

उक्त अधिसूचना में,—

(i) खंड (क) के लिए निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा नामतः:

"(क) प्रधान महानिदेशक, आयकर, प्रधान मुख्य आयुक्त, आयकर महानिदेशक, आयकर (जांच), मुख्य आयुक्त, आयकर (केंद्रीय), महानिदेशक, आयकर (आई एंड सी आई) तथा मुख्य आयुक्त, आयकर (छूट) केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अधीनस्थ होंगे।

(ii) खंड (क) के बाद निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः—

"(कक) महानिदेशक या मुख्य आयुक्त प्रधान महानिदेशक, आयकर या प्रधान मुख्य आयुक्त, आयकर के अधीनस्थ होंगे जिनके क्षेत्राधिकार के भीतर वे अपने कार्य करेंगे।"

(iii) खंड (ख) के लिए निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः:

"(ख) प्रधान निदेशक या निदेशक या प्रधान आयुक्त या आयुक्त या आयुक्त (अपील) प्रधान महानिदेशकों या महानिदेशकों या प्रधान मुख्य आयुक्तों या मुख्य आयुक्तों के अधीनस्थ होंगे जिनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत वे अपने कार्य करेंगे।

(iv) परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतः स्थापित किया जाएगा, नामतः—

"स्पष्टीकरण:—

इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए-

- (i) महानिदेशक, आयकर (जांच), मुख्य आयुक्त, आयकर (केंद्रीय) और महानिदेशक आयकर (आई तथा सी आई) मुख्य आयुक्त, आयकर (छ) कार्मिक और सतर्कता मामलों में संबंधित प्रादेशिक क्षेत्रों या क्षेत्र के प्रधान मुख्य आयुक्त, आयकर को रिपोर्ट करेंगे। "

यह अधिसूचना 15 नवम्बर, 2014 से प्रभावी होगी।

[अधिसूचना सं. 56/2014/फा.सं.187/30/2014-आयकर नि. I]

दीपशिखा शर्मा, निदेशक

टिप्पणी: भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित दिनांक 30 मार्च, 1988 की मूल अधिसूचना सं. का.आ. 359 और का. . 229 दिनांक 21 मार्च, 1996 द्वारा बाद में संशोधित।